सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत ग्राम – मुड़गेलमाल की समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति की आंकलन रिपोर्ट

––00––

कार्यालय कलेक्टर ,जिला–गरियाबंद ,द्वारा अनुमोदित एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी मैनपुर के व्दारा जारी आदेश क्रमांक 2805 / भू अर्जन/2020/मैनपुर/दिनांक 10/07/2020 के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति व्दारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक **28/07/2020** को ग्राम–**मुडगेलमाल** में आयोजित की गई। इसमें भू–अर्जन अधिकारी व्दारा नामाकिंत सभी सदस्य उपस्थित थे। विशेषज्ञ समिति ने सामाजिक समाघात अध्ययन दल व्दारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विभिन्न बिन्दुओ का बिन्दुवार आंकलन किया साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व्दारा इस संबंध में प्रस्तुत किये गये विभिन्न राजस्व अभिलेखो का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। समिति के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न आंकडों अभिलेखो एवं अन्य तथ्यों व्दारा विश्लेषण किया तदानुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम – **मुडगेलमाल** ग्राम पंचायत :– **मुडगेलमाल**

प्रस्तुत अधिग्रहण छ.ग. शासन के जल संसाधन संभाग गरियाबंद हेतु किया जाना है यह मुख्य नहर **छैला व्यपवर्तन** परियोजना के तहत प्रस्तावित है इस पर ग्राम **मुड़गेलमाल** की भूमि अधिग्रहीत किया जाना है स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट का स्वरुप रेखीय है। ऐसे अधिग्रहणो में भूमि लंबाई में अधिग्रहीत होती है। जिसमें भमि का क्षेत्रफल काफी कम रहता है किन्तु भूमि एक से एक लगी होने के कारण प्रभावितो की संख्या अधिक हो सकती है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में कुल **32** खातों की भमि आ रही है कुल खतेदारों की संख्या **32** है। इसमें कुछ अनुसूचित जनजाति के है। इन सभी खातेदारों का खातों का विवरण जिसमें उनके व्दारा कुल धारित भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण का रकबा और शेष बच रही भूमि का विवरण पृथक से संलग्न है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस अधिग्रहण होने के बाद भी प्रभावित व्यक्ति के पास भूमि शेष रह पायेगी और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का उसे नियमानुसार प्रतिकर एवं पुनर्व्यवस्थापन भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तावित अधिग्रहण से भू– स्वामियो के खाते में नगण्य कमी आयेगी और क्षति भी बहुत कम होगी।

01 ग्राम की कुल जनसंख्या **2244** है जिसमें केवल **दो** प्रतिशत हो रहे है, अर्थात इस अधिग्रहण से बहुत व्यापक सामाजिक/ आर्थिक दुष्पारिणाम नही होता है। इस नहर के बन जाने से आस–पास के बहुत सारे गांव को सिंचाई की सुविधा मिलेगी ,स्पष्ट है कि जन सामान्य के हितो का संवर्धन होगा प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी का भी विस्थापन नही होगा। प्रभावितो ने अपनी सहमति लिखित में दी हैं।

02 संभावित परियोजना में विभागीय अधिकारियों व्दारा सूचित किया गया है कि न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक कोई भी अधिग्रहण नही किया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञ ने नक्शों को देखते हुये इस बात की पुष्टि की कि अधिग्रहण न्यूनतम क्षेत्रफल से तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुये किया जा रहा है।

11/02/2021

भू–अर्जन अधिकारी
मैनपुर

Scanned with CamScanner

03 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों व्दारा इस बात की पुष्टि की कि संबंधित विभाग के पास पूर्व में कोई भी अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नही है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुचंती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण लोक हित में है उददेश्य लोक प्रयोजन है न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का ही अधिग्रहण किया जा रहा है इस अधिग्रहण से सिंचाई कार्य व्यवस्थित होगा और इसके सामान्य लाभ होने वाली क्षति की तुलना में बहुत अधिक है। विभाग के पास पूर्व में अधिग्रहीत भूमि बिना उपयोग की नही है फलतः भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –1. श्री ओम प्रकाश बंजारे (..............................)

2.श्री योगेन्द्र यादव (..............................)

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि – 1.श्री पुरीतराम ध्रुवा उपसंरपंच ग्राम मुडगेलमाल (..............................)

2.श्रीमति टामोतिन यादव जनपद सदस्य मैनपुर (..............................)

जनपद सदस्य
श्रीमती टा... यादव
क्षेत्र क्र.14
ज.पं. मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –1. श्री दिनेश साहु (..............................)

2.श्री हेमराज मांझी (..............................)

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ– अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवभोग

(..............................)

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग – देवभोग

भू–अर्जन अधिकारी
मैनपुर 11/09/2021

Scanned with CamScanner

तकनीकी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डैम्प्यू परियोजना में निर्मित नहर ग्राम मुड्गेलमाल प.ह.न 22 तहसील मैनपुर की प्रस्तावित भूमि आवश्यकतानुसार न्यूनतम है एवं प्रस्तावित स्थल के अलावा अन्य उपयुक्त स्थान नही है।

गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –1. श्री ओम प्रकाश बंजारे..(..)

2.श्री योगेन्द्र यादव (..)

स्थानीय निकायो के प्रतिनिधि – 1.श्री पुरीतराम ध्रुवा उपसंरपंच ग्राम मुडगेलमाल (..)

2.श्रीमति टामोतिन यादव जनपद सदस्य मैनपुर (..)

जनपद सदस्य
श्रीमती टामोतिन यादव
क्षेत्र क्र.14
ज.पं. मैनपुर, जिला गरियाबंद

पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –1. श्री दिनेश साहु (..)

2.श्री हेमराज मांझी (..)

परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ– अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा देवभोग

(..)

अनुविभागीय अधिकारी
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
उपसंभाग – देवभोग

भू–अर्जन अधिकारी
मैनपुर 11/02/2021

Scanned with CamScanner